राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1067/2015/पाली
अपील संख्या 1068/2015/पाली

मैसर्स नागराज इलेक्ट्रानिक्स
सुमेरपुर — अपीलीर्थी

बनाम

1.सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–तृतीय,वाणिज्यिक कर, सुमेरपुर
2.वाणिज्यिक कर अधिकारी
वाणिज्यिक कर,सुमेरपुर, पाली — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री ललित परमार
सी.ए. — अपीलार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.01.2017

निर्णय

उपरोक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 4 एवं 8/आरवेट/सुमेरपुर/2013–14 व 2014–15 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 13.03.2015 के के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है,जिसमें उन्होंने, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सुमेरपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23 एवं 23(1) के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिए पारित कर निर्धारण आदेशों में आई टी सी राशि क्रमशः रू. 2,47,714/– एवं 2,47,714/–कम आगे ले जायी गई है, को विवादित करने पर के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रषित कर अपीलार्थी को दिनांक 21.04.2015 को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं ।

उपरोक्त दोनों अपीलों में निर्णय हेतु विवादित बिन्दु एक समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियॉ दोनों पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जाये।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी फर्म द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि के प्रस्तुत विवरण पत्र वेट–10 एवं वेट–10ए के आधार पर डीम्ड योजना के तहत कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। पारित आदेश में विवरण पत्रों में क्लेम व घोषित, आई.टी.सी. राशि के अनुसार स्वीकृत नहीं

कर आगे ले जायी जाने योग्य (Carry Forward) सही नहीं ले जाकर कम अंकिंत कर दी गई। अपीलार्थी के डीम्ड योजना के तहत पारित आदेशों की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि जारी नहीं की गयी एवं पारित आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर भी समयावधि में अपलोड नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस आशय की सूचना, सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर दस्तावेज उपलब्ध कराये गये, जिन्हें बाद में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया। अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि एवं अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रतियां प्राप्त की गई तत्पश्चात् विभाग से प्रमाणित प्रतिलिपियों प्राप्त कर वर्ष 2010–11 में रुपये 2,47,714/– Carry Forward योग्य आई.टी.सी राशि आदेश में अकिंत नहीं की एवं न हो इस कम की गई आई टी सी राशि को अस्वीकार किये जाने के कारण आदेश में उल्लेखित किया। वर्ष 2011–12 में भी उसी सही Carry Forward की गयी कम अग्रेषित राशि का कर निर्धारण वर्ष 2011–12 में समायोजन प्रदान किया गया जिससे कर निर्धारण वर्ष 2011–12 में रुपये 2,47,714/– की आई.टी.सी राशि विवादित रही, जिसे अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती देने पर, उन्होंने आई टी सी के बिन्दु पर जांच कर विधिक प्रावधानों के अनुसार आई टी सी कैरी फारवर्ड किये जाने की कार्यवाही बाबत प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है,उक्त प्रतिप्रेषण आदेश से क्षुब्ध होकर ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि डीम्ड योजना के अन्तर्गत आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आई टी सी कम की गई है,जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि उक्त सम्बन्ध मे सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेजों की छाया प्रतियॉ प्राप्त की गई,जिनमें उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण पत्रों में घोषित एवंआगे ले जायी जाने वाली आई.टी.सी.राशि को कम किये जाने का भी डीम्ड आदेश में कोई भी उल्लेख नहीं है। उनका कथन है कि आई टी कम किये जाने बाबत को उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उनका यह भी कथन है कि कर निर्धारण वर्ष 2010–11, जिसका डीम्ड आदेश पारित किया गया है, उसमें कर निर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा पारित आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर समयावधि में अपलोड नही किया गया, जिससे पारित कियेय गये आदेशों में आई टी सी राशि आगे ले जाये जाने की राशि की सूचना नहीं मिली है। उनका यह भी कथन है कि वर्ष 2010–11 की अवधि के लिए चतुर्थ तिमाही का विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने बाबत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस तारीख

पेशी दिनांक 07.01.2013 का जारी किया, किन्तु नोटिस के पश्चात बिना कोई साक्ष्य पेश किये दिनांक 07.01.2013 को ही डीम्ड योजना के तहत बिना कोई आधार के वैट रिटर्न के जांच आई टी सी कम कैरी फारवर्ड की है। उनका कथन है कि इसी प्रकार वर्ष 2011–12 के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की गई है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपील स्वीकार करने के बजाय उसे प्रतिप्रेषित किया है, जो अनुचित एवं अविधिक है । उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकीरी के आदेश को अविधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि जिन तथ्यों को अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कर बोर्ड के स्तर पर उठाया है, उन्हीं तथ्यों पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में समावेश करते हुए सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से आदेश पारित कर आई टी सी के बिन्दु पर जांच कर विधिक प्रावधानों के अनुसार आई टी सी केरी फारवर्ड किये जाने का निर्देश देते हए अपीलार्थी को दिनांक 21.04.2015 को वांछित सूचना/रेकार्ड/दस्तावेज साक्ष्य सहित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंने का निदेर्श दिये थे, किन्तु उक्त निर्देशाों की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के स्थान पर 10.07.2015 को डाक द्वारा अपील कर बोर्ड में प्रेषित की है, जिसका कोई औचित्य नजर नहीं आता है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिन तथ्यों को कर बोर्ड स्तर पर उठाया गया है, उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2015 पारित किया है,जिसमें वांछित सूचना/रेकार्ड/दस्तावेज साक्ष्य सहित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंने का निदेर्श दिये थे, जो निम्न प्रकार है :–

"पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों जिनको अपील आधार के साथ पेश किया है, का अवलोकन किया गया। अवलोकल पर पाया कि विभागीय वेब पोर्टल पर उपलब्ध सूचना जिसकी प्रतियां विभागीय कार्यालय में उपलब्ध है, के बावजूद भी आगे ले जायी जाने वाली आई.टी.सी. राशि सही गणना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं की गयी।पारित डीम्ड आदेशों को भी

विभागीय वेबपोर्टल पर समयावधि में अपलोड नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विवरणपत्रों में घोषित व क्लेम आई.टी.सी. राशि कम Carry Forward करने का कोई कारण भी उल्लेखित नहीं किया है। आई.टी.सी. कम आगे ले जाये के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की गई एवं न ही कोई अपीलार्थी को अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थी के दायित्व में वृद्धि किये जाने अथवा आगे ले जायी जाने वाली आई.टी.सी राशि में कमी किये जाने के संबंध में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के अनुसरण में अवसर प्रदान किया है जो विधिक रुप से आवश्यक है। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णतः अवहेलना की गयी''।

अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि प्रकरण के समग्र तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी व्यवहारी को दिनांक 21.04.2015 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये थे, किन्तु अपीलार्थी व्यवहारी उक्त तारीख का कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होकर कर बोर्ड में दिनांक 10.7.2015 को अपील डाक द्वारा प्रेषित की है,जिसका कोई औचित्य नजर नहीं आता है, क्योंकि अन्ततः आई आई सी के सम्बन्ध में जांच कर आदेश कर निर्धारण अधिकारी को ही पारित करना है। यदि वह कर निर्धारण अधिकरी के आदेश से असमत होता तो वह कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करता ।

फलस्वरूप यह पीठ अपीलीधीन आदेश में कोई अविधिकता नहीं पाती है, इसलिए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को एक अवसर और प्रदान करती है कि वह इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर वांछित दस्तावेज/साक्ष्यों से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों। कर निर्धारण अधिकारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2015 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य